झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची।

क्रिमिनल एम0पी0 सं0–2221 वर्ष 2018

संतोष कुमार मुंडा उर्फ सतीश मुंडा .... याचिकाकर्त्ता

बनाम्

1. झारखण्ड राज्य

2. गीता देवी

3. ईश्वरी कुमारी (अपने नैसर्गिक संरक्षक गीता देवी के माध्यम से)

.... विपक्षीगण

उपस्थित : **माननीय न्यायमूर्ति श्री आनंदा सेन**

याचिकाकर्त्ता के लिए :– श्री सिद्धार्थ रॉय, अधिवक्ता।

राज्य के लिए :– अपर लोक अभियोजक।

विपक्षी पक्ष सं0–2 और 3 के लिएः–कोई नहीं।

07 / दिनांकः 16.09.2019

इस आवेदन में, याचिकाकर्त्ता ने मेनटेनेन्स केस सं0–18 वर्ष 2013 में प्रधान जिला न्यायाधीश, रामगढ़ द्वारा पारित दिनांक 29.06.2017 के आदेश को चुनौती दी है, जिसके द्वारा याचिकाकर्त्ता की बेटी को प्रति माह 2,000 रू0 (दो हजार रूपये) का अंतरिम भरणपोषण प्रदान किया गया है।

याचिकाकर्त्ता के अधिवक्ता ने कहा कि याचिकाकर्त्ता की पत्नी द्वारा दायर आपराधिक मामले में, समझौता किया गया था, जिसमें 1,50,000 रू0 (एक लाख पचास हजार रूपये) का भुगतान पत्नी को किया गया था और 1,50,000 रू0 (एक लाख पचास हजार रूपये) याचिकाकर्त्ता की बेटी के नाम नियत किया गया था। उन्होनें कहा कि

उपरोक्त तथ्य के मद्देनजर, पत्नी और बेटी द्वारा भरणपोषण का मामला दायर नहीं किया जाना चाहिए था।

राज्य के लिए उपस्थित विद्वान ए0पी0पी0 ने याचिकाकर्त्ता की प्रार्थना का विरोध किया। उन्होनें कहा कि अंतरिम भरणपोषण केवल बेटी को दिया गया है न कि पत्नी को। आक्षेपित आदेश केवल एक अंतरिम आदेश है और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के तहत कार्यवाही अभी भी लंबित है और इसलिए याचिकाकर्त्ता नीचे की अदालत के समक्ष अंतिम सुनवाई के समय इन सभी बिंदुओं को उठा सकता है।

पक्षों के निवेदनों को ध्यान में रखते हुए और अभिलेखों के परिसीलन के पश्चात, मैनें पाया कि आक्षेपित आदेश एक अंतरिम आदेश है जिसके द्वारा केवल एक अंतरिम उपाय के माध्यम से 2,000 रू0 (दो हजार रूपये) प्रति माह की राशि को याचिकाकर्त्ता की बेटी को भुगतान किये जाने का निर्देश दिया गया है।

चूंकि आक्षेपित आदेश से दं0प्र0सं0 की धारा 125 के तहत आवेदन का अंतिम निपटारा लंबित रहने तक केवल 2,000 रू0 (दो हजार रूपये) प्रति माह के अंतरिम भरणपोषण को मंजूरी दी गई है, मैं इस आवेदन को ग्रहण करने का इच्छुक नहीं हूँ। यह आवेदन तद्नुसार खारिज कर दिया जाता है।

याचिकाकर्त्ता अवर न्यायालय के समक्ष सभी बिंदुओं को उठाने के लिए स्वतंत्र होगा, जिस पर अवर न्यायालय द्वारा इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश से प्रतिकूल प्रभावित हुए बिना, विचार किया जाएगा।

ह0

(आनंदा सेन, न्याया0)